तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
3/3/024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थी राज पैरोकार उपस्थित। अप्रार्थी राज पैरोकार द्वारा पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु सहमति दी गई। वकुलाय की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी विवादित भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है। और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। अत: प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कोठार तहसील बाली के खसरा सं. 733/889 रकबा 3.2000 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम के चारों तरफ बाद पैमाईश पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाली को 1000/- रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार बाली को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला - पाली (राज.) ★ सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned with CamScanner